न्यायालय जिला कलेक्टर, कोटा

पीठासीन अधिकारीः—डॉ. रविन्द्र गोस्वामी, I.A.S.

प्रकरण संख्या —59/2023 (अपील)

GCMS No.- 2023/

श्रीमति कान्ति पत्नी स्व. श्री बृजमोहन जाति कायस्थ निवासी सिविल लाईन्स खण्ड गांवडी कोटा राज0

—अपीलाण्ट.

बनाम

1. श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव आत्मज स्व. श्री बृजमोहन श्रीवास्तव
2. श्रीमती कान्ति बाई पत्नी श्री कृष्ण मुरारी श्रीवास्तव निवासीगण रघुनाथ मंदिर के पास खण्ड गांवडी कोटा

—रेस्पोडेन्ट.

अपील विरूद्व निर्णय दिनांक 8.8.2023 मिसल नं0 58/2020 उनवान श्रीमति कान्ति बाई बनाम कृष्ण मुरारी वगै0 प्रार्थना पत्र भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम

उपस्थितः—

1. श्री देवेन्द्र कुमार गौड़, अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री गोविन्द नामदेव, अभिषक रेस्पो0

निर्णय

दिनांक—19.02.2024

1. प्रकरण का संक्षेप में विवरण इस प्रकार है कि अधीनस्थ ट्रिब्यूनल कोर्ट न्यायालय उपखण्ड मजिस्ट्रेट कोटा द्वारा प्रार्थी अपीलांट का प्रार्थना पत्र आंशिक स्वीकार करते हुए निर्णय दिनांक 8.8.2023 आदेश दिया है कि—" अप्रार्थीगण प्रार्थीया के साथ मारपीट व अभद्र व्यवहार ना करें एवं प्रार्थी को प्रार्थना पत्र में वर्णित विवादित मकान में शांतिपूर्वक निवास, उपयोग व उपभोग में किसी प्रकार की बाधा उत्पन्न नहीं करें । उक्त कृत्य ना तो अप्रार्थीगण स्वयं करें ना ही अपने किसी प्रतिनिधि से करावें । प्रार्थीया का ईलाज करवाये, भोजन एवं अन्य सुख सुविधाओं की व्यवस्था करें तथा सेवा सृश्रुशा करें । प्रार्थीया वर्तमान में वृद्वावस्था के कारण किसी प्रकार का कोई कार्य नहीं कर पाती है इस कारण प्रार्थीया अपनी सार संभाल स्वयं करने में असमर्थ है । अप्रार्थी क्रम 1 को निर्देश दिया जाता है कि अपनी माता को 2000/— मासिक भरण पोषण हेतु राशि जर्ये बैंक खाता दिया जाना सुनिश्चित करें ।"
2. उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील इस न्यायालय में दिनांक 22.9.2023 को प्रस्तुत की गई । अपील प्रस्तुत होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पो0 को जरिये सम्मन तलब किया गया । रेस्पो0 की ओर से अभिभाषक श्री गोविन्द नामदेव का वकालतनामा प्रस्तुत हुआ । वकील उभयपक्ष एवं उभयपक्ष पक्षकार उपस्थित । उभयपक्ष की बहस सुनी गई ।
3. वकील अपीलांट द्वारा अपील मेमों में अंकित तथ्यों को ही दोहराते हुए कथन किया है कि प्रार्थीया अपीलांटा ने अधीनस्थ न्यायालय में भरण पोषण एवं वरिष्ठ नागरिकों का कल्याण अधिनियम के तहत पत्रावली पेश की जिसमें तथ्य अंकित किये गये कि प्रार्थीया का मकान खण्ड गांवडी कोटा में स्थित है जिसमें प्रार्थीया व अप्रार्थीगण निवासरत है, लेकिन दोनों अप्रार्थीगण, प्रार्थीया के साथ लडाई झगडा कर भद्दी भद्दी गांलिया देते है और मारपीट पर आमादा हो जाते है और दोनों समय का भोजन नहीं देते है न ही किसी से बात करने देते है ना ही प्रार्थीया अपीलांटा को

जिला कलेक्टर
कोटा

कहीं आने जाने देते है ना ही प्रार्थीया को छत पर जाने देते है, इस प्रकार प्रार्थीया का जीवन नारकीय बना रखा है, प्रार्थीया 75 वर्षीय विधवा सीनियर सिटीजन है और दोनों अप्रार्थीगण प्रार्थीया के पुत्र व पुत्रवधु है तथा दोनों के द्वारा प्रार्थीया को प्रताडित किया जा रहा है तथा पति रेल्वे में थे उनके बाद प्रार्थीया को फेमिली पेंशन प्राप्त होती है उक्त प्रार्थनापत्र का अप्रार्थीगण ने गलत असत्य तथ्यों पर जवाब पेश किया गया जिसके तथ्यों पर ही ध्यान देते हुए माननीय अधी0 न्यायालय ने उक्त प्रार्थना पत्र का निर्णय दिनांक 8.8.2023 को पारित किया गया है । प्रार्थीया ने प्रार्थना पत्र में अप्रार्थीगण को अपने उक्त मकान से बेदखल करने हेतु भी अनुतोष चाहा गया है जो अनुतोष प्रार्थीया को प्रदान नहीं किया न ही अधीनस्थ न्यायालय ने अपने उक्त आदेश में इस बाबत कोई टिप्पणी की गयी है इसलिए उक्त आदेश संशोधन किये जाने योग्य है । उक्त वर्णित मकान अपीलांट के पति का है जिसकी वसीयत अपीलांट के पति ने उनके जीवनकाल में निष्पादित करायी गयी थी जिसका पंजीयन उप पंजीयन कार्यालय कोटा में दिनांक 30.11.2007 को पंजीबद्व किया गया, उक्त वसीयत में स्पष्ट रूप से वर्णित किया गया है कि उक्त मकान की जब तक अपीलांटा जीवित रहेगी वही सम्पूर्ण मकान की मालिक काबिज होगी और उसको ही अपने हिसाब से उपयोग उपभोग करने का अधिकार होगा ओर अपीलांटा के देहान्त के बाद उक्त मकान का रेस्पो0 व उसका दुसरा पुत्र गिर्राज मालिक होगा अपीलांटा के पति का देहान्त हो गया है ओर उनके बाद अपीलांटा वसीयत के अनुसार एक मात्र मालिक काबिज रहेगी और अपनी इच्छानुसार उपयेाग उपभोग करने का अधिकार होगा । अधीनस्थ न्यायालय ने तथ्यों की अनदेखी करते हुए त्रुटिपूर्ण निर्णय पारित कर दिया है जो अपास्त किये जाने योग्य है क्योंकि अधी0 न्यायालय ने अपीलांटा को अपने निर्णय में जो अनुतोष चाहा था वह पूर्ण रूप से ना देकर आंश्कि रूप से ही प्रदान किया है जबकि अपीलांटा अपने शांतीपूर्वक जीवन के लिए उक्त मकान में से रेस्पो0 को बेदखल कराना चाहती है जिसकी अपीलांटा को अति आवश्यकता है । अतः अपील अपीलांट स्वीकार फरमायी जाकर अधी0 न्यायालय के आदेश दिनांक 8.8.2023 में संशोधन करते हुए उक्त आदेश में रेस्पो0 को अपीलांटा के उक्त विवादित मकान से बेदखल करने का आदेश प्रदान करें ।

4. वकील रेस्पोडेन्ट द्वारा अपनी बहस में कथन किया है कि अपीलांटा के दो पुत्र रेस्पो0 1 एवं एक पुत्र गिरिराज श्रीवास्तव है जिसे जानबूझकर अपीलांटा ने पक्षकार नहीं बनाया है । इससे प्रथम दृष्टया ही यह प्रमाणित होता है कि वास्तविकता में यह प्रार्थना पत्र प्रार्थीया द्वारा दबाव में एवं केवल मात्र अप्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट्स को मानसिक एवं आर्थिक रूप से परेशान करने की नियत से प्रस्तुत किया है । रेस्पो0 क्रम 1 के पिता स्व0 बृजमोहन जी श्रीवास्तव रेल्वे के रिटायर्ड कर्मचारी थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात अपीलांटा को उनकी पेंशन राशि 15000/– प्रतिमाह प्राप्त होती है जिसका उपयोग उपभोग स्वयं अपने हिसाब से करती चली आ रही है साथ ही प्रतिवर्ष जमीन के मुनाफा काश्त की 1,00,000/– की राशि अपीलांटा को प्राप्त होती है जिसका उपयोग उपभोग स्वयं अपने हिसाब से करती चली आ रही है जिसमें अप्रार्थीगण का कोई दखल नहीं है तथा प्रसन्नतापूर्वक अपना जीवनयापन करती चली आ रहे है । केवल मात्र अपीलांटा दूसरे पुत्र के बहकावे मे आकर यह प्रार्थना पत्र पेश किया गया है । पिताजी अपने जीवनकाल में मकान का बंटवारा कर गये थे माताजी जिस हिस्से में रहती है वह मेरे हिस्से में आया है प्रार्थीया के पति रेल्वे रिटायर्ड कर्मचारी थे तथा उनके स्वर्गवास के पश्चात प्रार्थीया को उनकी पेंशन प्राप्त होती है । अतः अपील अपीलांट खारिज फरमाई जावें ।

5. हमने उभयपक्ष की बहस सुनी बहस पर मनन किया एवं पत्रावली का भली भांति अवलोकन किया । अधीनस्थ न्यायालय में प्रार्थी अपीलांटा द्वारा एक प्रार्थना पत्र इस आशय का पेश किया था कि खण्ड गांवडी में एक मकान स्थित है जिसमें प्रार्थीया अपीलांटा एवं अप्रार्थीगण रेस्पो0 निवास करते है । रेस्पो0 प्रार्थीया से आए दिन लड़ाई झगड़ा, बदसलीकी आदि करते है तथा प्रार्थीया की सेवा सुश्रुषा, भरण पोषण दवा आदि की व्यवस्था नहीं करते है, 10,000/– बतौर भरण पोषण एवं उक्त मकान

जिला कलेक्टर
कोटा

से अप्रार्थीगण को बेदखल करने की प्रार्थना की थी, किन्तु अधीनस्थ न्यायालय द्वारा अपने निर्णय दिनांक 8.8.2023 से 2000/– प्रार्थीय अपीलांटा को बतौर भरण पोषण के जरिये बैंक खाते से भुगतान के आदेश दिये है तथा लड़ाई झगड़ा नहीं करने, भोजन आदि की व्यवस्था करने के आदेश दिये । उक्त आदेश की अप्रसन्नता में यह अपील दिनांक 22.9.2023 को प्रस्तुत की गई है जो अन्दर मियाद है । उक्त वादग्रस्त मकान जिसमें अपीलांटा एवं रेस्पोडेन्टगण निवास करते है जिसकी पैमाईशी 727.5 वर्गफीट अपीलांटा के पति स्व0 बृजमोहन के नाम से था । रेस्पो0 नं0 1 भी बृजमोहन जी का पत्र है । अपीलान्टा के दौ पुत्र है दुसरा छोटा पुत्र अपीलांटा के साथ रहता है इसी मकान के एक पोर्सन में रेस्पोडेन्टगण रहते है, अपीलांटा केवल बड़े पुत्र व पुत्रवधु को ही घर से निकालना चाहती है, इससे यह स्पष्ट हो रहा है कि अपीलान्टा छोटे पुत्र के कहने अनुसार ही बड़े पुत्र को घर से निकालना चाहती है । दौराने बहस रेस्पोडेन्ट नं0 1 को समझाईस कर दी गई है कि वह अपीलान्ट के साथ किसी प्रकार की बदसलूकी नहीं करें । अपील में जो प्रार्थना बेदखली की गई है वह स्वीकार योग्य नहीं है ।

6. परिणामस्वरूप अपीलान्ट द्वारा अपील में की गई रेस्पोडेन्ट को बेदखली की प्रार्थना अस्वीकार की जाकर अपील अपीलांट खारिज की जाती है । अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय दिनांक 8.8.2023 में कोई हस्तक्षेप करना उचित नहीं पाते है ।

7. निर्णय आज दिनांक 19.02.2024 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर सुनाया गया ।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
जिला कलक्टर, कोटा
जिला कलेक्टर
कोटा